



Government of India
Ministry of Labour & Employment
Central Labour Institute, Mumbai
Staff Training & Productivity Division

One day awareness programme on
“OSH&WC Code, 2020”
(23rd Apr 2026)

About the Course:

The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, is enacted to consolidate and simplify the existing complex web of labour laws. It replaces **13 Central Labour laws** by a single comprehensive legislation, thereby reducing multiplicity and bringing uniformity across industries and States/ UTs. The Code was enacted as a part of the broader labour laws reforms to improve transparency, enhance worker welfare, and promote ease of doing business in India.

The Code balances the twin objectives of safeguarding worker rights and safe working conditions, and creating a business-friendly regulatory environment.

This course is designed to create awareness on OSH&WC Code, 2020 among the industrial workers, supervisors, managers and other safety professionals to meet the broader objective of the Code.

Competency Mapping of the Programme:

Functional Competencies:

These focus on practical tasks and operational skills required for compliance, such as conducting inspections, audits etc.

- Perform risk assessment, accident investigation and hazard reporting in factories.
- Ensure provisions of PPEs, first aids facilities and welfare provisions
- Oversee safety committee and annual health check up

Behavioral Competencies:

These emphasize attitude and skills for effective implementation, promoting a safety culture through workers participation.

- Demonstrate proactive communication of hazards to employers and inspectors.
- Foster workers training and awareness programme in accessible language.
- Exhibit leadership in promoting safe practices and compliance advising.

Domain Competencies:

These cover specialized knowledge in OSH domains, aligned with hazardous processes and overall safety and health of the workplace.

- Technical expertise in handling chemicals, high risk activities and tasks.
- Regulatory knowledge of working hours , compliances and penalties for violations.
- Evaluation skills for creating preventive measures and medical surveillance in notified hazardous occupations.

Objective and Course Highlights:

On completion of the programme, the participants will be equipped with the knowledge of;

- National Policy on Safety Health and Environment at Workplace (NPSHEW)
- Introduction, Genesis & Structure of the Code. Salient features, Registration, Occupational Safety and Health Provisions under the Code.
- Safety, Health and Working Conditions.
- Special provisions relating to Factories
- Offences and penalties
- Miscellaneous Provisions.

Participation

Safety Officers, Safety Managers/Executives, Safety Professionals and Engineers working in Factories, Construction sites, Hazardous Process Industries and any Interested learner etc.

Date and Timings

One days –23rd April 2026
from 10.00 hrs to 17.00 hrs.

Venue

Yamuna/Ganga Conference Room
1st Floor, Main Building,
Central Labour Institute, Mumbai

Administrative Details

Institution fee of Rs 3000/- (Rs Three thousand only) per participant through Bharatkosh portal (<https://bharatkosh.gov.in>) may be deposited online by using the following steps **once nomination is confirmed by Course Coordinator**. Institution fee does not include any refreshment or other charges.

Payment Procedures:

Log in to: <https://bharatkosh.gov.in> / **Quick Payment**

Ministry: 021 Labour & Employment

Purpose: Training Fee or Course fee of the workshop conducted

Pay & Account Office (PAO): 030263-PAO
(DGFA SLI), Mumbai

DDO Code: 230265 (Administrative Officer Central Labour Institute, Mumbai)

Remarks: Awareness programme on Occupational Safety, Health and Working Condition Code, 2020” (23rd April 2026 at CLI, Mumbai)

Food & Accommodation:

Meal and accommodation are to be arranged by participants on their own.

Nomination

Nomination may be sent by email to the Course Coordinator or Course Director at email IDs as given below , on or before **20th April, 2026**.

Course Coordinator:

Shri Satyendra Singh, Deputy Director (ST/P).

Mobile: No – 7382131254

E-mail : satyendra25.singh@dgfasli.nic.in

Website: www.dgfasli.gov.in

Course Director:

Shri G.P.Vijay Krishna, Director (ST/P)

Mobile: No – 9849995415

E-mail : gpv.krishna@dgfasli.nic.in



**भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई
(कर्मचारी प्रशिक्षण एवं उत्पादकता प्रभाग)**

**“ एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम
OSH&WC कोड, 2020”
(23 अप्रैल 2026)**

पाठ्यक्रम के बारे में:

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020, मौजूदा जटिल श्रम कानूनों के जाल को समेकित और सरल बनाने के लिए लागू की गई है। यह 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक व्यापक कानून से प्रतिस्थापित करती है, जिससे कानूनों की विविधता कम होती है और उद्योगों तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एकरूपता आती है। यह संहिता व्यापक श्रम कानून सुधारों के एक भाग के रूप में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देना और भारत में व्यापार करने में सुगमता को प्रोत्साहित करना है। यह संहिता श्रमिक अधिकारों और सुरक्षित कार्य परिस्थितियों की रक्षा करने तथा व्यापार-अनुकूल नियामक वातावरण बनाने के दोहरे उद्देश्यों को संतुलित करती है। यह पाठ्यक्रम औद्योगिक श्रमिकों, पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों और अन्य सुरक्षा पेशेवरों के बीच व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया है, ताकि संहिता के व्यापक उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

कार्यक्रम का दक्षता मानचित्रण:

कार्यात्मक दक्षताएँ:

ये अनुपालन के लिए आवश्यक व्यावहारिक कार्यों और परिचालन कौशलों पर केंद्रित हैं, जैसे निरीक्षण, लेखापरीक्षा आदि करना।

- कारखानों में जोखिम मूल्यांकन, दुर्घटना जांच और खतरों की रिपोर्टिंग करना।
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और कल्याणकारी प्रावधान सुनिश्चित करना।
- सुरक्षा समिति और वार्षिक स्वास्थ्य जांच की देखरेख करना।

व्यवहारिक दक्षताएँ:

ये प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दृष्टिकोण और कौशल पर जोर देती हैं, श्रमिकों की भागीदारी के माध्यम से सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देती हैं।

- नियोक्ताओं और निरीक्षकों को खतरों के बारे में सक्रिय रूप से सूचित करना।
- सुलभ भाषा में श्रमिकों के प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देना।
- सुरक्षित प्रथाओं को बढ़ावा देने और अनुपालन संबंधी सलाह देने में नेतृत्व प्रदर्शित करना।

क्षेत्रीय दक्षताएँ:

ये कार्यस्थल की समग्र सुरक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) क्षेत्रों में विशेष ज्ञान को कवर करती हैं।

- रसायनों, उच्च जोखिम वाली गतिविधियों और कार्यों को संभालने में तकनीकी विशेषज्ञता।
- कार्य समय, अनुपालन और उल्लंघन के लिए दंड संबंधी नियामकीय ज्ञान।
- अधिसूचित खतरनाक व्यवसायों में निवारक उपाय और चिकित्सा निगरानी तैयार करने के लिए मूल्यांकन कौशल।

उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ:

कार्यक्रम के समापन पर, प्रतिभागियों को निम्नलिखित विषयों का ज्ञान प्राप्त होगा:

- कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति (एनपीएसएचईडब्ल्यू)
- संहिता का परिचय, उत्पत्ति एवं संरचना। प्रमुख विशेषताएं
- पंजीकरण, संहिता के अंतर्गत व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रावधान।
- सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां।
- कारखानों से संबंधित विशेष प्रावधान
- अपराध एवं दंड
- विविध प्रावधान।

सहभागिता

कारखानों, निर्माण स्थलों, खतरनाक प्रक्रिया उद्योगों में कार्यरत सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा प्रबंधक/कार्यकारी अधिकारी, सुरक्षा पेशेवर और इंजीनियर तथा कोई भी इच्छुक शिक्षार्थी आदि।

दिनांक एवं समय

एक दिन – 23 अप्रैल 2026

सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक।

स्थल

यमुना/गंगा सम्मेलन कक्ष
प्रथम तल, मुख्य भवन,
केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई

प्रशासनिक विवरण

प्रत्येक प्रतिभागी के लिए ₹3000/- (तीन हजार रुपये मात्र) का संस्थागत शुल्क भारतकोष पोर्टल (<https://bharatkosh.gov.in>) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। नामांकन की पुष्टि पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा हो जाने के बाद, निम्नलिखित चरणों का पालन करके शुल्क जमा किया जा सकता है। संस्थागत शुल्क में जलपान या अन्य कोई शुल्क शामिल नहीं है।

भुगतान प्रक्रियाएँ:

लॉग इन करें: <https://bharatkosh.gov.in> / त्वरित भुगतान

मंत्रालय: 021 श्रम एवं रोजगार

उद्देश्य: आयोजित कार्यशाला का प्रशिक्षण शुल्क या पाठ्यक्रम शुल्क
वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ): 030263-पीएओ
(डीजीएफएसएलआई), मुंबई
डीडीओ कोड: 230265 (प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय श्रम संस्थान,
मुंबई)

टिप्पणी: “व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता, 2020 पर जागरूकता कार्यक्रम” (23 अप्रैल 2026 को सीएलआई, मुंबई में आयोजित)

भोजन एवं आवास:

भोजन और आवास की व्यवस्था प्रतिभागियों को स्वयं करनी होगी।

नामांकन:

नामांकन नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर पाठ्यक्रम समन्वयक या पाठ्यक्रम निदेशक को 20 अप्रैल, 2026 या उससे पहले ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

कार्यक्रम में प्रवेश इस संस्थान से पुष्टि के अधीन है।

कोर्स समन्वयक:

श्री सत्येंद्र सिंह, उप निदेशक (एसटी/पी)

मोबाइल: नंबर – 7382131254

ई-मेल: satyendra25.singh@dglasli.nic.in

वेबसाइट: www.dglasli.gov.in

कोर्स निदेशक:

श्री जी.पी.विजय कृष्ण, निदेशक (एसटी/पी)

मोबाइल: नंबर – 9849995415

ई-मेल: gpv.krishna@dglasli.nic.in

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

**One day awareness programme on
“Occupational Safety, Health and Working Condition Code, 2020”**

(23rd Apr 2026)

at

CENTRAL LABOUR INSTITUTE, SION, MUMBAI, 400022

PARTICIPANT’S DETAILS

Name (Block Letters) :

Designation :

Address for Communication :

Age :

Qualification :

Total Experience :

Mobile No. :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :

Telephone No. / Mobile No. :

E-mail :

Fax No. :

Accommodation : Required / Not Required

PAYMENT DETAILS : **bharatkosh receipt number** **dtd.**

BELONGS TO :- :

(GEN / SC / ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

SIGNATURE

नामांकन-सह-पंजीकरण फॉर्म

“व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता 2020 पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम”

(23 अप्रैल 2026)

स्थान:

केंद्रीय श्रम संस्थान, सायन, मुंबई, 400022

प्रतिभागी का विवरण

नाम (बड़े अक्षरों में) :

पदनाम :

संचार के लिए पता :

आयु :

योग्यता :

कुल अनुभव :

मोबाइल नंबर :

प्रायोजक संगठन का विवरण

नाम और पता :

टेलीफोन नंबर / मोबाइल नंबर :

ई-मेल :

फैक्स नंबर

:

आवास :

उपलब्ध नहीं है

भुगतान विवरण:

भारतकोश रसीद संख्या

दिनांकित।

संबंधित:-

(सामान्य / एससी / एसटी / ओबीसी / पीएच / एनईआर*)

*=उत्तर पूर्वी क्षेत्र

हस्ताक्षर